



आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष: 2284880 2627021, फ़ैक्स: 2612098
E-mail:awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 939 / 2835 / आ०ब०-1 / निदेशक / 2023-24

दिनांक 02 मई, 2024

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश।

आवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,


1. उपाध्यक्ष,
अयोध्या, बरेली, बुलन्दशहर, गोरखपुर,
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, गाजियाबाद,
प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद,
मुजफ्फरनगर, रायबरेली, उन्नाव-शुक्लागंज
एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण।
2. नगर आयुक्त,
नगर निगम लखनऊ।

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए०एच०पी० घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों को निर्मित भवनों का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० 1023/आठ-1-2023-106विधि/2018 दिनांक 30.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत निर्मित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दिये जाने हेतु विभिन्न अभिकरणों द्वारा, लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु, प्रकाशित ब्रोशर में निहित नियम एवं शर्तों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तदकम में पूर्व में आवास बन्धु के पत्र संख्या-438/2564-Vol-IV/ आ.ब.-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या-367/आ.ब.-1/निदेशक / 2023-24 दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के माध्यम से विषयगत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके अभिकरण से सूचना अप्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए०एच०पी० घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों को भवनों का कब्जा दिये जाने हेतु अभिकरण द्वारा प्रकाशित पंजीकरण पुस्तिका (ब्रोशर) में निहित नियम एवं शर्तों की सॉफ्ट कापी (Excel Sheet / MS Word) में तथा हार्ड कापी आवास बन्धु को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि—अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक,
आवास बन्धु



आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष: 2284880 2627021, फ़ैक्स: 2612098
E-mail:awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 939 / 2835 / आ0ब0-1 / निदेशक / 2023-24

दिनांक 02 मई, 2024

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश।

आवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
अयोध्या, बरेली, बुलन्दशहर, गोरखपुर,
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, गाजियाबाद,
प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद,
मुजफ्फरनगर, रायबरेली, उन्नाव-शुक्लागंज
एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण।
2. नगर आयुक्त,
नगर निगम लखनऊ।

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों को निर्मित भवनों का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 1023/आठ-1-2023-106विविध/2018 दिनांक 30.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत निर्मित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दिये जाने हेतु विभिन्न अभिकरणों द्वारा, लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु, प्रकाशित ब्रोशर में निहित नियम एवं शर्तों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तदकम में पूर्व में आवास बन्धु के पत्र संख्या-438/2564-Vol-IV/ आ.ब.-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या-367/आ.ब.-1/निदेशक /2023-24 दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के माध्यम से विषयगत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके अभिकरण से सूचना अप्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों को भवनों का कब्जा दिये जाने हेतु अभिकरण द्वारा प्रकाशित पंजीकरण पुस्तिका (ब्रोशर) में निहित नियम एवं शर्तों की सॉफ्ट कापी (Excel Sheet / MS Word) में तथा हार्ड कापी आवास बन्धु को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि—अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/05/2024
निदेशक,
आवास बन्धु